

Ái = III & vkbZih vlg  
vlonu djus dsfy,

Ái = & III  
vlonu 'kYd  
#- 500/-



Ái = IV & t Sod  
LkLk/ku@LkEc) Klu dk  
gLrkraj.k

Ái = & IV  
vlonu  
'kYd  
#- 10,000/-


Ái = ch  
vki kr mIs; dsfy, òkjr dsclgj  
xj&okf.kT; d 'k/k; k 'k/k dsLkpyu dsfy,  
t Sod LkLk/ku d" òt uk@ogu djuk



आवेदक कोई व्यक्ति/सत्त्व जो पहले से ही प्रपत्र I के तहत जैविक संसाधन/सम्बद्ध ज्ञान का हस्तांतरण प्राप्त कर चुका था



vlonu



jkVh, t S fofo/krk Ák/kdj.k



dc vlonu dj

- ▶ Ái = III ds rgr vlonu djus dsfy,] vko"dlj fdLk t Sod LkLk/ku ij fdLk òh 'k/k; k t kudljh ij vLkfr vo'; g"uk plfg, A
- ▶ vko"dlj eami; "x fd, x, t Sod LkLk/ku"ad" òkjr Ls vo'; Ákr fd; k t kuk plfg, A
- ▶ òkjr ea; k clgj iVv vlonu nt ZdjusLsigys Ái = III vlonu d" vo'; nt Zfd; k t kuk plfg, A
- ▶ vkbZih vlg Ánu djusLsigys, u ch, dh vuqfr Ákr dh t k xA
- ▶ doy vlonu eafuE"V fd, x, nskaeagh vkbZih vlg Ákr djus dsfy, vuq"nu Ánu fd; k t k xA
- ▶ vlonu Ákr g"usdhfnukal Ls; FkLk 90 fnu dh vof/k ds òhrj vlonu dsfui Vku dk, u ch, d" vknk fn; k t krk gA

- ▶ , Lk fdLk òh Q fä@Lk"o d" t" igys Ls gh Ái = I ds rgr fdLk òh t Sod LkLk/ku@LkEc) Klu rd vfòxe dj pòk Fk ogh fdLk òh Q fä@Lk"o d" gLrkraj djus Ls igys iwZvuq"nu Ákr djuk plfg.

- ▶ ys tk @gLrkrajr fd, x, t Sod LkLk/ku dk mi; "x doy vlonu eamfYyf[kr Á; "t u dsfy, gh mi; "x vo'; fd; k t kuk plfg,
- ▶ 'k/k eami; "x fd, x, t Sod LkLk/ku d" gLrkraj.kdrZ vq ÁkrdrkZn"u aokf.kT; d mi; "x eaugEj [kxsvq mLk ij fdLk òh vkbZih vlg dk nok elxax
- ▶ okf.kT; d mi; "x ; k c" d Lank vf/kdj ds nos dh fLkfr eagLrkraj.kdrk@ÁkrdrkZ t Lk òh eleyk g" , u ch, dk iwZvuq"nu Ákr djxkA

geLk Lk dZdja

l fpo  
jkVh, t S fofo/krk ik/kdj.k  
5 ohaft y] VbLky ck; k ikZ l h, l vkbZvj j"m  
rkjef.k pñubZ& 600 113 rfeyukMh Hkj  
Qk%044 2254 1075 / 1335 QDI %044 2254 1200  
bZy%secretary@nba.nic.in  
oc%www.nbaindia.org



Ái = III òjus dsckjseavf/kd t kudljh dsfy,  
<http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guidelines-for-filling-up-of-Form-III.pdf> dk LkòZya

Ái = IV òjus dsckjseavf/kd t kudljh dsfy,  
<http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guidelines-for-filling-up-of-Form-IV.pdf> dk LkòZya

fMt kbu, oafodLkr fd; k x; k }kjLkLhbZih hv", y] , u ch,



Ái = & l  
vlonu  
'k'd  
#- 10,000/-

Ái = ll  
vlonu  
'k'd  
#- 5000/-

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन बी ए) एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में जैविक संसाधनों और सम्बद्ध ज्ञान पर निर्दिष्ट की गई गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार है। इस तरह के जैविक संसाधनों और उनसे सम्बद्ध ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा सुरक्षित करना भी इसका लक्ष्य है। एन बी ए की नियामक शक्तियाँ निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने तक विस्तारित हैं

- ▶ जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक अभिगम करना
- ▶ जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित शोध के परिणामों का हस्तांतरण
- ▶ जैविक संसाधनों और/या उनसे संबंधित किसी भी जानकारी का उपयोग करके आविष्कार पर आई पी आर प्राप्त करना
- ▶ एन बी ए के अनुमोदन के साथ पहले से ही अभिगम किए गए जैविक संसाधनों/ संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण
- ▶ आपात उद्देश्य के लिए भारत के बाहर गैर-वाणिज्यिक शोध या शोध के संचालन के लिए जैविक संसाधन को भेजना/वहन करना

**t S LkLk/ku**

एन बी ए में किसी भी आवेदन को दाखिल करने से पहले सुनिश्चित किया जाने वाला प्राथमिक कारक है इस बात की पहचान करना कि क्या आवेदक जैव विविधता अधिनियम द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार किसी जैविक संसाधन के साथ काम कर रहा है।

- ▶ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म-जीवों, या उनके अंगों, आनुवंशिक सामग्री या वास्तविक अथवा संभावित उपयोग या मूल्य वाले उपोत्पादों को शामिल करता है
- ▶ मानव आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं करता है
- ▶ मूल्य वर्धित उत्पादों को उपोत्पादों की व्यापक श्रेणी से छूट दी गई है। यदि उपोत्पाद पौधों और पशुओं के पहचानने अयोग्य और भौतिक रूप से अवियोज्य रूप में अंशों या अर्कों से युक्त है, तो इसे एक मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में माना जाएगा, और जैविक संसाधनों की परिभाषा के भीतर नहीं माना जाएगा।

**, u ch , vuq'nu**

जैव विविधता अधिनियम के तहत विनियमित विभिन्न गतिविधियों हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पाँच भिन्न-भिन्न प्रारूप हैं जिनके तहत आवेदक को एन बी ए के समक्ष आवेदन करना चाहिए। वे हैं प्रपत्र I, II, III, IV और बी।

**Ái = l fuEufyf[kr d' djus ds fy, t S od LkLk/ku@Kku rd vf0xe djuk**

किन्हीं भी जैविक संसाधनों का अध्ययन या उनकी व्यवस्थित जाँच  
जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके संजातों का उपयोग कर किसी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का अध्ययन या उसकी व्यवस्थित जाँच  
किसी भी उपयोग के लिए उत्पादों या प्रक्रियाओं को बनाने या संशोधित करने का उद्देश्य।

'k/k




अंत उपयोग जैसे कि औषधियाँ, औद्योगिक एंजाइम, भोजन स्वाद, खुशबू, सौंदर्य प्रसाधन, एमल्सीफायर्स, ओलियोरैजिन्स, रंग, अर्क  
आनुवंशिक हस्तक्षेप के माध्यम से फसलों व पशुधन में सुधार करने के लिए जीन का उपयोग  
पारंपरिक प्रजनन को शामिल नहीं करता है  
कृषि, बागवानी, मुर्गी-पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन या मधुमक्खी-पालन में प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को शामिल नहीं करता है

ok. kT; d mi ; 'x



संग्रह या जैविक संसाधनों की प्रजातियों, उप-प्रजातियों, जीन या घटकों/अर्कों का संग्रह या सर्वेक्षण करना  
इसके अलावा लक्षण-वर्णन, सूची-निर्माण (इन्वेंटराइजेशन) और जैव-परख (बायो-ऐसे) को शामिल करता है

t S LkLk k vG t S mi ; 'x



**Ái = ll & 'k/k ds i fj . kē'adk LFKkukrj . k**

0kjr h; ukxfj d  
xS&0kjr h;  
, u vLj vLbZ  
0kjr eai t hNr@fuxfer Lk'io  
, Lk Lk'io t " 0kjr eai t hNr ; k fuxfer uge gS

'k s j i p h @Ácaku ea xS& 0kjr h; 0kxhLj h ds LkFk xS&0kjr h | , u vLj vLbZ 0kjr h; Lk'io | , Lk Lk'io t " 0kjr eai t hNr ; k fuxfer uge gS

- ▶ शोध के परिणाम के हस्तांतरण में किसी भी जैविक संसाधन का हस्तांतरण शामिल नहीं होना चाहिए
- ▶ शोध के हस्तांतरण के लिए बदले में वस्तु या नकद के रूप में प्रतिफल का अभाव आवेदक को प्रपत्र II दाखिल करने के दायित्व से छुटकारा नहीं देता है
- ▶ किसी संगोष्ठी या कार्यशाला में शोध पत्रों के प्रकाशन या ज्ञान के प्रसार के लिए एन बी ए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।